अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉंधी नरेगा)

एफ 1 (2) ग्रावि/नरेगा/भा.स/मा.द/पार्ट–II/2010–11 जयपुर दिनांक - 2 FEB 2012

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय :–महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार की मांग हेतु श्रमिकों को फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था बाबत।

प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रोजगार मांग पत्र फार्म नं. 6 उपलब्ध कराने के साथ–साथ दिनांकित प्राप्ति रसीद भी जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 7 में यह भी वर्णित किया गया है कि "ग्राम पंचायत की प्रत्येक साप्ताहिक बैठक एवं नरेगा स्थाई समिति की बैठक में इस बिन्दु को स्थाई एजेण्डा के रूप में रखते हुए अधिकृत स्थानों पर आवेदन पत्रों की उपलब्धता, आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांकित रसीद जारी करना एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना ग्राम पंचायत तक पहुँचने एवं आवेदकों को निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध कराने की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जावे।"

भरतपुर जिले की बयाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरखेडा में सामाजिक अंकेक्षण एवं जन सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार के उक्त निर्देशों की पालना फील्ड स्तर पर नही की जा रही है, जो कि ना केवल राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है बल्कि इससे महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि संदर्भित पत्र के निर्देशों की पूर्ण पालना एवं इस गतिविधि की समय समय पर समीक्षा करना सुनिश्चित करे।

भवदीय

2/2/12
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।
2. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पं.स समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस